दिनांक 29.08.2023
प्रेस विज्ञप्ति 31/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना अमृतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद फतेहगढ द्वारा थाना अमृतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राधेश्याम को मृत्युदण्ड व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 302/201 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त 2– जितेन्द उर्फ रहीस 3–मिन्टू उर्फ शैलेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना बैरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे–4 जनपद बलिया द्वारा थाना बैरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/364/34/201 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–भगवान सिंह 2–संजीव कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 80–80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रायबरेली/थाना मिलएरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद रायबरेली द्वारा थाना मिलएरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–दिनेश कुमार यादव 2–स्वामी दयाल उर्फ बिजली 3–अरूण कुमार उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना फुगाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट सं0–2 मुजफ्फरनगर द्वारा थाना फुगाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो द्वितीय उरई जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रंजीत को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/506 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय चौहान उर्फ आशुतोष को 12 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना सिरसाकलार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंगल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गाजीपुर/थाना मुहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजीपुर द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/504 भादवि व 08 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नागेन्द्र पाल को 04 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 20 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **लूट के मोबाइल फोन आदि**
- **लूट की 01 स्कूटी, 01 पर्स**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार व 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.08.2023 को थाना विजयनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मिल्ट्री ग्राउण्ड से 06 अभियुक्तों 1–तुषार उर्फ हाका 2–अभय 3–नितिन उर्फ मुनीम 4–अरूण 5–गौरव 6–धीरज उर्फ रोशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 20 लाख 50 हजार रूपये नगद, लूट के मोबाइल फोन, लूट की 01 स्कूटी, 01 पर्स, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 21.08.2023 को थाना विजयनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तुषार उर्फ हाका निवासी ग्राम डेरी रछोती थाना मुडाली जनपद मेरठ।

2–अभय निवासी टी प्वाइंट प्रवेश बिहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ।

3–नितिन उर्फ मुनीम निवासी ग्राम रामनगर थाना किला परिक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

4–अरूण निवासी डेरी रछेती थाना मुडाली जनपद मेरठ।

5–गौरव निवासी ग्राम इमलिया थाना कसाना, गौतमबुद्धनगर।

6–धीरज उर्फ रोशन निवासी सिक्का कर्नम सेक्टर–143 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूटे गये 20 लाख 50 हजार रूपये ।

2–लूट के मोबाइल फोन आदि।

3–01 स्कूटी, 01 पर्स।

4–घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार व 01 मोटर साइकिल ।

5–01 पिस्टल मय जीवित कारतूस।

6–03 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कटरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 29.08.2023 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खैरपुर चौराहा से जलालाबाद जाने वाले रास्ते पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कटरा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजू निवासी संतोषपुर थाना कटरा जनपद शाहजहॉपुर।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.08.2023 की रात्रि थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोकुल सिटी गेट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अफसरून को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नई मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मुजफ्फरनगर का टॉप टेन अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मजुफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, डकैती, अपहरण, रंगदारी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 32 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अफसरून निवासी ग्राम शेरनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बदायूँ/थाना वजीरगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 38 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 445 ग्राम अवैध अफीम**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 29.08.2023 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैदपुर पेट्रोल पम्प से रेहडिया तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1–बृहमपाल 2–राजवीर 3–इन्द्रजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 38 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 445 ग्राम अवैध अफीम, 03 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बृहमपाल निवासी ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ।

2–राजवीर निवासी ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूँ।

3–इन्द्रजीत निवासी ग्राम सिंगथरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 38 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 445 ग्राम अवैध अफीम।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना जलालाबाद

- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनाँकः 28.08.2023 की रात्रि थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरैया मोड़ बरेली रोड से अभियुक्त रीतेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रीतेश निवासी ग्राम कटका थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 मोटर साइकिल बरामद**

दिनाँकः 29.08.2023 को थाना सुनगढी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरहा अण्डरपास के पास से 02 अभियुक्तों 1–राजेन्द्र उर्फ अजगर 2–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र उर्फ अजगर निवासी ग्राम सिमरिया गौसू थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत।

2—राजू निवासी विथरा अड्डा थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—चोरी की 17 मोटर साइकिल।

जनपद फतेहगढ़/थाना मऊदरवाजा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **06 मोटर साइकिल के चाभियों का गुच्छा, 01 मास्टर चाभी आदि बरामद**

दिनॉकः 28/29.08.2023 की रात्रि थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—दुर्विजय 2—महेश 3—चन्द्रशेखर 4—भूदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 06 मोटर साइकिल के चाभियों का गुच्छा, 01 मास्टर चाभी आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दुर्विजय के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त महेश, चन्द्रशेख, भूदेव के विरूद्ध जनपद फतेहगढ, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी आदि के 09—09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दुर्विजय निवासी नयगवॉ थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़।

2—महेश निवासी ग्राम भनऊ थाना बिछुवॉ जनपद मैनपुरी।

3—चन्द्रशेखर निवासी निजामपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

4—भूदेव निवासी बोथरी थाना अरॉव जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2—06 मोटर साइकिल के चाभियों का गुच्छा, 01 मास्टर चाभी आदि।

——————